वैशाली समाहरणालय,हाजीपुर
जिला जन सम्पर्क कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति

छट पर्व पर विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली की उपस्थिति में बैठक सम्पन्न किया गया। बैठक के दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थें। साथ ही विधि–व्यवस्था के संधारण में लगे सभी कार्यपालक दण्डाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान दिये गये प्रमुख निदेश निम्न प्रकार है :–

→ घाटों पर ड्यूटी में लगाये गये सभी दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे किसी एक जगह पर खड़ा न रहें वरन् सक्रिय रहते हुये अपने ड्यूटी का निर्वहन करें और यह देखे कि कोई अप्रिय घटना न घटे।

→ सुबह के समय घाटों पर ससमय अवशय उपस्थित हो जाए क्योंकि लोग सुबह ही काफी संख्या मे एक साथ आ जाते है।

→ मेडिकल कैम्प में आवश्यक सभी दवा अवश्य उपलब्ध रखें।

→ पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि वाहनों का पार्किंग निर्धारित स्थानों पर हीं हो ताकि अवागमन हेतु रास्ता खाली मिले।

→ निजी नावो परिचालन बन्द रहेगा। घाट पर पटाखों की बिक्री तथा पटाखा छोड़ने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

→ जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर के कार्यालय कक्ष में संचालित होगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष सं0–06224–272215 हो जो 26. 10.2017 को 12 बजे मध्याह्न से 27.10.2017 को 02.00 बजे अपराह्न तक संचालित हरेगा।

→ कई महत्वपूर्ण जगहों पर ड्रॉप गेट बनाया जा रहा है ताकि छट पर्व में आम जनो को कोई कठिनाई नहीं होगी।

→ कई स्थानों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगा यथा कोनहारा घाट स्थित रेलवे आवासीय कॉलनी, विद्युत आपूर्ति कार्यालय, G.A इंटर स्कूल आदि क्षेत्रों में।

जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी,
वैशाली।